

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>जगदीशसिंह गहलोत बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 131/2017</p>	<p>नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>02.12.17</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी जगदीशसिंह गहलोत पता गहलोतों का बास, मगरा पूंजला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 07.06.2017 में उसके द्वारा (1) राज्य सरकार ने गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.08.1962 के जरिये बेरीगंगा कम्पार्टमेंट 1 2 3 मण्डोर जोधपुर में वन विकास के लिए भूमि आवंटन की इच्छा जाहिर की है। श्रीमान् सहायक वन बंदोबस्त अधिकारी ने दिनांक 22.12.1983 को आदेश पारित कर गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.08.1962 में दर्शाये समस्त खसरों की भूमि को वन भूमि घोषित कर दिया। उपरोक्त आदेश में दर्शाये गए खसरों की वन भूमि में से बाहर निकली गई भूमि का विवरण हेतु मण्डोर रेवेन्यु नक्शों की प्रमाणित व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। ओदश सुनाया गया।</p>	